[2009] 8 एस.सी.आर. 42

राजस्थान राज्य

बनाम

बाबू लाल

(आपराधिक अपील सं. 859/2004)

21 अप्रैल, 2009

[न्यायमूर्ति, डॉ. अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति, अशोक कुमार गांगुली]

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 42 (2)–ब्राउन शुगर की भारी मात्रा के कब्जे के तहत अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन उच्च न्यायालय द्वारा धारा 8/21 के अधीन दोष सिद्धि को धारा 42 (2) एन.टी.पी.सी. एक्ट के उपबन्धों का अनुपालन न करने के कारण अपास्त किया गया उच्च न्यायालय ने कथित निष्कर्ष पर आने के लिए विभिन्न तथ्यात्मक पहलुओं का उल्लेख किया–मौखिक जानकारी की प्राप्ति को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। उच्य न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार अपील सं. 859/2004

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ द्वारा आपराधिक अपील सं. 707/2002 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.10.2003 से मिलिंद कुमार, अपीलार्थी के वकील।

अशोक कुमार सिंह, प्रतिवादी के वकील। न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पासायत द्वारा दिया गया–

1: इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दोषमुक्त किए जाने के फैसले के विरुद्ध चुनौती दी गयी है। प्रतिवादी को नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद 'द एक्ट' के रूप में पुनर्निर्धारित) की धारा 8/21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। उत्तरदाता के क़ब्ज़े में ब्राउन शुगर की एक बड़ी मात्रा पायी गयी थी और विचारण न्यायालय ने माना कि सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और इसलिए, विचारण न्यायालय के अनुसार, अभियोजन स्थानक स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा 42 (2) में विहित उपबन्धों का पालन नहीं किया गया था।

2. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न तथ्यात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

3. राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं करने में कुछ मामूली बदलाव, यदि कोई हो, दोषसिद्धि को खराब नहीं करेंगे।दूसरी ओर उत्तरदाता के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

4. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय विभिन्न तथ्यात्मक पहलुओं का उल्लेख करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 42 (2) एन.टी.पी.सी. एक्ट में विहित उपबन्धों का पालन नहीं किया गया था।मौखिक जानकारी की प्राप्ति को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था। इसलिए हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। अपील विफल हो जाती है और इसे तदनुसार निरस्त्र की जाती है।

एन. जे.

अपील निरस्त की गयी।

Jai Shankar Mishra